

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, अम्बेडकर मवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(10) छात्र. पो. / सान्यत्ववि/2019-20/ 1640-43

दिनांक : 08/11/20

1. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
2. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
3. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
4. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।

विषय : विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC /SBC/EBC/CM/ DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल पर पंजीकृत होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के सत्र 2018-19 एवं 2019-20 के दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह ध्यान में आया कि अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता के अपूर्ण दस्तावेज अपलोड किये हैं। विभाग द्वारा महाविद्यालयों के अपूर्ण दस्तावेजों के साथ पंजीयन करने के कारण इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को उक्त सत्रों छात्रवृत्ति दिया जाना संभव नहीं हो रहा है।

अतः उक्तानुसार विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्त सत्रों की एन.ओ.सी. /मान्यता/सम्बद्धता के दस्तावेजों को शीघ्र अपलोड करावें ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके।

08  
21/11/20  
निदेशक